सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या-1/2018-13(6)/2017/का-1-2018

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2018

विषय :-राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों का भरा जाना ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं तत्सम्बन्धी अनुस्मारक पत्रों क्रमशः दिनांक 08 सितम्बर, 2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्रों के अतिरिक्त कतिपय विभागों को कार्मिक विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2017, 20 नवम्बर, 2017, 21 नवम्बर, 2017, 22 नवम्बर, 2017, 23 नवम्बर, 2017, 24 नवम्बर, 2017 एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 भी प्रेषित किये गये हैं ।

2- उक्त सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों द्वारा अपने प्रशासकीय/अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन कार्मिकों के सम्बन्ध में चयन वर्ष 2017-2018 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का आगणन कर, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर, पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कराकर संलग्न प्रारूप पर पूरे विभाग की समेकित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी । कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नतियों के सन्दर्भ में विभिन्न तिथियों में अनेक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं । अभी भी कुछ विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है । यह स्थिति खेदजनक है । ऐसे विभागों में पदोन्नति की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को बैठक आहूत की गयी ।

3- उपरोक्त के आलोक में, निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :-

(1) चयन वर्ष 2017-2018 में लगभग 06 माह व्यतीत हो जाने तथा निरन्तर निर्गत निर्देशों के उपरान्त भी पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में अभी तक जिन विभागों द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है अथवा विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी है, उनमें उच्च स्तरीय आदेशों का अनुपालन न किये जाने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि/अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डित करते हुए कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को अविलम्ब अवगत कराया जाय।

(2) जिन विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रचलित है, वे पदोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लें तथा उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायें ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) जिन मामलों में प्रकरण विभिन्न मा0 न्यायालयों में विचाराधीन हैं, उनका भी इस उद्देश्य से परीक्षण करा लें कि क्या मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन अग्रेतर कार्यवाही की जा सकती है ? यदि हॉ तो तदनुसार आवश्यक अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(4) जिन मामलों में पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हों, उनमें पात्र कार्मिक उपलब्ध होने तक वैकल्पिक व्यवस्था यथा-पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण से भरे जाने अथवा पदोन्नति हेतु पोषक पद की अर्हकारी सेवा कम किये जाने हेतु सेवा नियमावली में सुसंगत संशोधन किये जाने पर विचार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाय ।

(5) चयन वर्ष 2018-2019 में पदोन्नति हेतु उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की परिधि के पदों का अधियाचन, आयोग को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर ली जाय ।

(6) अपने विभाग से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों को पदोन्नति की सूचना के साथ बैठक हेतु आमंत्रित कर अपने स्तर पर सघन समीक्षा की कार्यवाही कर लें ।

4- उपरोक्त के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-3 के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

राजीव कुमार

मुख्य सचिव ।

संख्या-1/2018-13(6)/2017(1)/का-1-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।